न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/66
मुकदमा नम्बर 33/2021

दायर दिनांक : 04–02–2021

1. मो0 असलम पुत्र स्व0 उमरदीन
2. मो0 सलीम पुत्र उमरदीन जाति– व्यापारी निवासीगण डुण्डलोद तहसील नवलगढ़

– वादी

बनाम

1. जेबुनिशा पुत्री स्व0 उमरदीन
2. बलकेश पुत्री स्व0 उमरदीन जाति– व्यापारी निवासीगण डुण्डलोद तहसील नवलगढ़
3. ईशाक अहमद कुरेशी पुत्र यासीन जाति– व्यापारी निवासी डुण्डलोद तहसील नवलगढ़
4. लेण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रति. :– श्री पंकज जांगिड

<u>दावा : बाबत घोषणार्थ दूरूस्ति रेकार्ड अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: निर्णय ::

दिनांक– 15–03–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके राजस्व ग्राम पबाना भूमि ख.नं. 394 रकबा 0.60 है0 मे वादीगण 1 लगायत 2 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। गलत दर्ज अब्दुल मजीद का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे।

उक्तानुसार वाद पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गयी। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की और से वास्ते पैरवी वकील श्री पंकज जांगिड़ उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

वकील प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की और से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया है। साक्ष्य वादी मे इसाक अहमद व जेबुनिशा का शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण की और से इकवालिया जवाब पेश होने से तनकी कायमी की आवश्यक्ता नही रह जाती है। पक्षकारान द्वारा सीधे ही बहस पेश करने पर सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 8 जमाबन्दी आधार संवत् 2075–2078 अनुसार ख. नं. 394 रकबा 0.6 कि खातेदारी अब्दुलमजीद पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 तथा इशाक अहमद कुरैशी पुत्र यासीन कुरैशी हिस्सा 1/2 जाति– मुसलमान के नाम दर्ज है। उक्त भूमि 1/2 हिस्से का खातेदार अब्दुलमजीद पुत्र भूरा तथा उसकी पत्नी पत्नी की फौत मुताबिक इकबालिया जवाब एंव साक्ष्य जाहिर हो चूका है तथा उनके कोई पुत्र पुत्री होना या कोई संतान गोद लेना मुताबिक जवाब एंव साक्ष्य पत्रावली पर नही आया है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

अब्दुलमजिद के निकटतम रिश्तेदारो मे सबसे निकट वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 ही है यह भी मुताबिक इकबालिया जवाब व साक्ष्य से जाहिर है।

अतः पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजो, इकबालिया जवाब व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद वादीगण के पक्ष मे स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पबाना भूमि ख.नं. 394 रकबा 0.60 है0 मे वादीगण 1 लगायत 2 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner